

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव  
(पीठारीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 143/2023

अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्राथीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. राउराम पुत्र उम्मेदाराम 2. कुम्भाराम पुत्र उम्मेदाराम 3. भीरोदेवी पत्नी बालाराम 4. चेतनराम पुत्र बालाराम जाति जाट, निवासी काश्मीर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. चूनाराम पुत्र भीयाराम 3. पूनमाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट, निवासी काश्मीर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, उण्डू

उपस्थित :- अधिवक्ता प्राथीगण :- श्री बालाराम गोदार।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 018.08.2025

प्राथीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्राथीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा काश्मीर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 964/514 रकबा 3.8445 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्राथीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 965/514 रकबा 3.9012 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी का पूर्व में मूल खसरा नम्बर 514 का विभाजन होने पर राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्राथीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्राथीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने से मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्तमान तरमीम दर्शायी गई है तथा मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उभयपक्ष प्रभावित खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्राथीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
शिव

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी ाक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान् एवं प्रभावित खातेदारान् द्वारा विवादित आराजी के खसरा नम्बर की वर्तमान तरमीम निरस्त कर मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा काश्मीर तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 964/514 रकबा 9.8445 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खसरा नम्बर 965/514 रकबा 3.9012 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपर्युक्त अधिकारी  
उपलब्ध अधिकारी  
शिव (काश्मीर)

आदेश आज दिनांक 18.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपर्युक्त अधिकारी  
उपलब्ध अधिकारी  
शिव (काश्मीर)